न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2022(रसद) (GCMS 2022/409)	23.11.2022	20.06.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

अरविन्द गैस सर्विस एवं मां काली गैस सर्विस किला रोड, चित्तौड़गढ़ संचालक सुरेन्द्र सिंह (मोबाईल 9414202463)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी एक तरफा

पैरोकार सरकार अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.10.2022 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार मां काली गैस एवं अरविन्द गैस सर्विस पहुंची वक्त निरीक्षण मौके पर सुरेन्द्र सिंह दुकान पर उपस्थित मिले। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर जो रिफलिंग हेतु रखे पाये गये। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् मौके पर कांस्टेबल राजकुमार बेल्ट नंबर 830 एवं मेघराज बेल्ट नंबर 749 थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ पहुंचे। मौके पर दुकान में उपस्थित सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 8 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर **43.78 Kg.** गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रबंधक भारत गैस चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में कुल 8 सिलेण्डर दिये गये।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। मां काली गैस एवं अरविन्द गैस सर्विस संचालक सुरेन्द्र सिंह द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 8 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **43.78 Kg.** को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 20.06.2023 को विपक्षी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 19.10.2022 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार मां काली गैस एवं अरविन्द गैस सर्विस पहुंची वक्त निरीक्षण मौके पर सुरेन्द्र सिंह दुकान पर उपस्थित मिले। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर जो रिफलिंग हेतु रखे पाये गये। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 8 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से आवेदन का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **43.78 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 19.10.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मां काली गैस एवं अरविन्द गैस सर्विस से विपक्षी सुरेन्द्र सिंह से जब्त शुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **43.78 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.06.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official